भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1034**

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

**असम में अवैध बांग्लादेशी नागरिक**

**1034. श्री रंजिब बिस्वाल :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे हैं:

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने आप्रवासियों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर ऐसे संवेदनशील भागों/मार्गो की पहचान करने हेतु कोई योजना तैयार की है जिनसे होकर आप्रवासी असम में घुसपैठ कर रहे है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ड़) सरकार द्वारा असम में अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करने तथा सीमा पार से नए आप्रवासन को रोकने हेतु क्या-क्या उठाए गए हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ड.): ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनेक प्रकार की जांच एवं नियंत्रण के उपायो के बावजूद, कुछ बांग्लादेशी राष्ट्रिक अवैध रुप से देश में प्रवेश करने में कामयाब हो गए थे। चूंकि ऐसे अवैध बांग्लादेशी राष्ट्रिकों द्वारा देश में चोरी-छिपे एवं गुप्त रुप से प्रवेश किया जाता है, अत: ऐसे अवैध बांग्लाि्देशी राष्ट्रिकों के वास्तविक आंकड़े रखना संभव नहीं है। विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अधीन राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध रुप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके निर्वासन के लिए असम राज्य में 36 विदेशी विषयक अधिकरण स्थापित किए हैं। सूचनाओं के अनुसार , वर्ष 1985 से 2014 की अवधि के दौरान 9,41,361 मामलों की जांच शुरु की गई जिनमें से 9,28,690 मामलों में जांच पूरी कर ली गई और असम में संदिग्ध मतदाता वाले मामलों सहित 4,39,389 मामलों को विदेशी विषयक अधिकरणों को उनकी राय के लिए भेज

दिया गया। विदेशी विषयक अधिकरणों ने 2 ,20,485 मामलों का निपटारा कर दिया है, जिसमें से वर्ष 1971 से पूर्व असम में आने वालों में 33,015 व्यक्तियों को विदेशी के रुप में घोषित किया और 25.03.1971 को अथवा उसके बाद असम आने वाले 28 ,316 व्यक्तियों को विदेशी के रुप में घोषित किया गया। कथित अवधि के दौरान अवैध प्रवासी घोषित 2447 व्यक्तियों को बांग्लादेश निर्वासित किया गया। अधिकरणों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए असम राज्य में स्थापित किए जाने के लिए भारत सरकार द्वारा जून, 2013 में 64 अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की स्थापना की मंजूरी दी गई।

बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के ताजा मामलों को रोकने के उद्देश्य से बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर 19 सुभेद्य हिस्सों/सीमा चौकियों की पहचान की है। पहचान किए गए सुभेद्य हिस्सों में सुरक्षा को मजबूत किया गया है और वहां नजदीकी निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें बीएसएफ को मजबूती प्रदान करना और उन्हें आधुनिक एवं उन्नत उपकरणों/गैजेटों से लैस करना; बीएसएफ की अतिरिक्त बटालियनों का गठन करना ; सीमा चौकियों के बीच के अंतर को कम करना; गश्त में वृद्धि करना; सीमा सड़कों एवं सीमा पर बाड़ निर्माण के कार्य में गति लाना; निगरानी उपकरणों का प्रावधान आदि शामिल हैं।

---